भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2184

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

जैविक उर्वरकों का संवर्धन

2184. श्री राजीव राय:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किसी नीति को लागू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) उत्तर प्रदेश सहित देश में जैविक उर्वरकों के उत्पादन का राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में जैविक उर्वरकों के उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) फसलों की उपज और उत्पादकता पर जैविक उर्वरक के उपयोग के प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): ऑर्गेनिक उर्वरकों के घरेलू उत्पादन का पता लगाने और बढ़ाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने, रासायनिक आदानों पर निर्भरता को कम करने और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:-

1. राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ):

राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ) को राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (एनसीओएफ) के माध्यम से कृषि उन्नति योजना के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत कार्यान्वित किया गया था। 2022-23 के दौरान सरकार ने एनसीओएफ को राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) के रूप में पुनर्गठित किया जिसमें जैविक और प्राकृतिक खेती सहित रासायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए संशोधित अधिदेश है। एनसीओएनएफ ने विभिन्न तरीकों से किसानों के बीच निम्न प्रकार से जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया है:

क. प्रमाणीकरण प्रणाली सहित जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण आयोजित करना।

ख. पीजीएस-भारत प्रमाणन प्रणाली का कार्यान्वयन।

ग. प्रशिक्षण साहित्य (ओएफएनएल, बीएफएनएल और विभिन्न आईटीके का संकलन) के प्रकाशन के माध्यम से।

घ. क्षेत्र और फसल विशिष्ट सर्वोत्तम पद्धतियों/सफलता की कहानियों आदि का प्रसार।

ड. आईईसी गतिविधियां (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, सेमिनारों का आयोजन/भाग लेना।

च. *एफसीओ 1985 के अनुसार जैविक उर्वरकों और जैव उर्वरकों का परीक्षण।*

2. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई):

2015 में शुरू की गई परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) का एक विस्तारित घटक है। पीकेवीवाई का उद्देश्य जैविक खेती का सहयोग करना और इसे बढ़ावा देना है, जिसके परिणामस्वरूप मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है।

इस स्कीम में जैविक प्रमाणन की भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया) को बढ़ावा दिया जाता है जो पारस्परिक विश्वास, पारदर्शिता, स्थानीय रूप से प्रासंगिक सिद्धांतों पर बनाई गई है और जिसके अंतर्गत प्रमाणन की प्रक्रिया में उत्पादकों और उपभोक्ताओं की भागीदारी को अनिवार्य किया गया है। पीजीएस - इंडिया "थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन" के ढांचे के बाहर काम करता है।

इस स्कीम के तहत किसानों को जैविक खेती पद्धतियों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें जैव उर्वरकों और जैविक आदानों का उपयोग, प्रमाणन और जैविक उत्पादों का विपणन शामिल है। इस स्कीम के तहत वित्त पोषण का स्वरूप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 60:40 के अनुपात में है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में, केंद्रीय सहायता 90:10 (केंद्रः राज्य) के अनुपात में प्रदान की जाती है और संघ राज्यक्षेत्रों को 100% सहायता दी जाती है।

इस स्कीम का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल, कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाकर रसायनों और कीटनाशकों के अवशेषों से मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना है। ग्रामीण युवाओं/किसानों/उपभोक्ताओं/व्यापारियों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने से जैविक खेती में नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रसार होता है।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीईएनईआर):

यह एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जो 12वीं योजना अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में कार्यान्वयन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत एक उप-मिशन है।

इस स्कीम का उद्देश्य उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए एक मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास करना और इनपुट, बीज, प्रमाणन से लेकर संग्रहण, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांड निर्माण पहल के लिए सुविधाओं का निर्माण करने तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास को सहयोग करना है।

4. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए): जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में "मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन" घटक शामिल है, जिसमें मृदा उर्वरकता में सुधार के लिए जैविक उर्वरकों और मृदा संशोधनों के उपयोग को बढ़ावा देकर अप्रत्यक्ष रूप से जैविक पद्धतियों में परिवर्तन का समर्थन किया जाता है।

5. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ):- इस स्कीम का उद्देश्य पूरे भारत में रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। एनएमएनएफ में कृषि को इनपुट-गहन तरीकों से पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान पर आधारित एक सतत, लागत प्रभावी मॉडल में बदलने का प्रयास करता है। इसका मुख्य लक्ष्य देशी गाय-आधारित आदानों जैसे जीवामृत और बीजामृत (सूक्ष्मजीवों के टीके) और बायोमास मल्चिंग का उपयोग करके रासायन मुक्त खेती को बढ़ावा देकर किसानों की इनपुट लागत को कम करना और मृदा स्वास्थ्य को बहाल करना है।

6. गोबरधन स्कीम: सरकार ने ऑर्गेनिक उर्वरक संवर्धन संबंधी नीति अनुमोदित की है। इस स्कीम के तहत 1451.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) के कुल परिव्यय के साथ गोबरधन स्कीम के तहत संयंत्रों में उत्पादित किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एलएफओएम) जैसे मृदा में कार्बन वर्धकों और फॉस्फेट समृद्ध ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) जैसे ऑर्गेनिक उर्वरकों के संवर्धन हेतु 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) प्रदान की जा रही है जिसमें रिसर्च गैप फंडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपए की कार्पस निधि भी शामिल है।

(ख) और (ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में ऑर्गेनिक उर्वरकों का राज्यवार उत्पादन **अनुलग्नक** में दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि ऑर्गेनिक उर्वरकों के उपयोग का डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसे राज्यों द्वारा साझा नहीं किया गया है।

(घ): केवल ऑर्गेनिक उर्वरकों के उपयोग से मृदा के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से ऑर्गेनिक कार्बन और उपज में शुरू में गिरावट आती है, तथापि, जैव उर्वरकों में ऑर्गेनिक सुधार जैसे फार्म क्षेत्र की खाद (एफवाईएम), वर्मी कम्पोस्ट और मुर्गी की खाद के साथ मिलाने से अंतरफसल व्यवस्था में गेहूं और काबुली चने की वृद्धि, उपज और गुणवत्ता में काफी सुधार देखा गया है। जैविक मृदा सुधारकों को अंतरफसल व्यवस्था और जैव उर्वरक के उपयोग के साथ मिलाने से भारत में अनाज और दालों के उत्पादन को बढ़ाने की अपार क्षमता है।

आईसीएआर ने एकीकृत जैविक खेती प्रणाली (आईओएफएस) पर दीर्घकालिक उर्वरक प्रयोग और अनुसंधान किया है जो यह दर्शाता है कि जैविक उर्वरकों जैसे फार्म की खाद (एफवाईएम), वर्मी कम्पोस्ट, खाद, हरी खाद, फसल अवशेष और पुनर्चक्रिकरण कृषि अपशिष्ट के अनुप्रयोग से मृदा के स्वास्थ्य में सुधार और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करते हुए फसल उत्पादकता को बनाए रखा जा सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि अनाज आधारित प्रणालियों में लगभग 3

साल की प्रारंभिक संक्रमण अवधि और फली-आधारित प्रणालियों में 2 साल से भी कम समय में, जैविक खेती से फसल की पैदावार अकार्बनिक प्रणालियों के बराबर या उससे अधिक बनी रही। जैविक प्रबंधन से लगातार मोटे चावल, बासमती चावल और सोयाबीन आधारित फसल प्रणालियों में उच्च उत्पादकता दर्ज हुई है। स्थापित जैविक प्रबंधन के तहत संक्रमण चरण के दौरान सोयाबीन की उपज 0.5 - 0.6 टन/हेक्टेयर से बढ़कर 1.4 - 1.5 टन/हेक्टेयर हो गई। अनुसंधान से यह भी प्रदर्शित हुआ कि जैविक पोषक तत्वों जैसे कि फार्मयार्ड खाद, वर्मी कम्पोस्ट, समृद्ध खाद, नीम केक, पंचगव्य और जैविक गतिकीय कृषि आगत (बायोडायनामिक इनपुट) के संतुलित अनुप्रयोग से कई जगहों पर फसल उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, जैविक पोषक तत्व प्रबंधन से कालीकट में 23.5 टन/हेक्टेयर अदरक, रायपुर में 4.28 टन/हेक्टेयर चावल और 1.21 टन/हेक्टेयर चने और 8.53 टन/हेक्टेयर लाल कद्दू के साथ 3.93 टन/हेक्टेयर और 6.04 टन/हेक्टेयर खीरा का उत्पादन हुआ। बेहतर उत्पादकता होने के अलावा, जैविक खेती से मृदा के स्वास्थ्य और मृदा के कार्बनिक कार्बन में काफी वृद्धि हुई है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2184 के उत्तर के भाग (क) और (ग) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जैविक उर्वरकों का राज्य-वार उत्पादन (अनुमानित)

क्रम.सं	**राज्य**	**जैविक खाद उत्पादन (मीट्रिक टन में)**
1.	आंध्र प्रदेश	**30384**
2.	छत्तीसगढ	**939222**
3.	गुजरात	**442887.06**
4.	हिमाचल प्रदेश	**7822**
5.	जम्मू एवं कश्मीर	**5842**
6.	कर्नाटक	**1965767.7**
7.	केरल	**62179.51**
8.	मध्य प्रदेश	**1709812.24**
9.	महाराष्ट्र	**240756**
10.	नगालैंड	**6**
11.	ओडिशा	**52981**
12.	पंजाब	**47444.89**
13.	राजस्थान	**135855**
14.	उत्तर प्रदेश	**436652.62**
15.	उत्तराखंड	**8717.55**
16.	पश्चिम बंगाल	**81797.18**
17.	पुदुचेरी	**1025**
	कुल	**6169151.4**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जैविक उर्वरकों का राज्य-वार उत्पादन

क्रम.सं	**राज्य**	**जैविक खाद** **उत्पादन (मीट्रिक टन में)**
1	आंध्र प्रदेश	1874125
2	असम	122001
3	बिहार	16526
4	छत्तीसगढ	681697
5	गोवा	8959
6	गुजरात	253473
7	हरियाणा	438689
8	हिमाचल प्रदेश	564729
9	जम्मू एवं कश्मीर	9166
10	कर्नाटक	1844895
11	केरल	2738
12	मध्य प्रदेश	1472273
13	महाराष्ट्र	216230
14	मणिपुर	150
15	पंजाब	938
16	राजस्थान	192909
17	तमिलनाडु	97301
18	तेलंगाना	39996
19	त्रिपुरा	1050
20	उत्तर प्रदेश	80456
21	उत्तराखंड	21171
22	पश्चिम बंगाल	65451
23	पुदुचेरी	1025
	कुल योग	**8004921**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जैविक उर्वरकों का राज्य-वार उत्पादन

क्रम.सं	राज्य	जैविक खाद उत्पादन (मीट्रिक टन में)
1	आंध्र प्रदेश	1858652
2	असम	125812
3	बिहार	22500
4	छत्तीसगढ	78402
5	गुजरात	257822
6	हरियाणा	74223
7	हिमाचल प्रदेश	4520
8	जम्मू एवं कश्मीर	85240
9	झारखंड	32831
10	कर्नाटक	2286649
11	मध्य प्रदेश	1388205
12	महाराष्ट्र	343171
13	मणिपुर	150
14	पंजाब	3088335
15	राजस्थान	52220
16	तमिलनाडु	2134453
17	त्रिपुरा	1022
18	उत्तर प्रदेश	802262
19	उत्तराखंड	10750
20	लद्दाख	13681
	कुल योग	**12660900**

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जैविक उर्वरकों का राज्य-वार उत्पादन

क्रम.सं	राज्य	जैविक खाद उत्पादन (मीट्रिक टन में)
1	आंध्र प्रदेश	272572
2	असम	43773
3	बिहार	53256
4	गोवा	11221
5	गुजरात	278037
6	हरियाणा	71179
7	हिमाचल प्रदेश	33
8	जम्मू एवं कश्मीर	3250
9	कर्नाटक	2278241
10	केरल	13560
11	मध्य प्रदेश	84598
12	महाराष्ट्र	237843
13	ओडिशा	14764
14	पंजाब	7407
15	राजस्थान	50477
16	तमिलनाडु	231522
17	तेलंगाना	28788
18	त्रिपुरा	947
19	उत्तर प्रदेश	74799
20	उत्तराखंड	7440
21	पश्चिम बंगाल	6705
22	पुदुचेरी	2470
	कुल योग	**3772884**

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जैविक उर्वरकों का राज्य-वार उत्पादन

क्रम.सं	राज्य	जैविक खाद उत्पादन (मीट्रिक टन में)
1	आंध्र प्रदेश	25006
2	असम	130704
3	बिहार	47861
4	छत्तीसगढ	2166
5	दिल्ली	27657
6	गुजरात	390309
7	हरियाणा	180299
8	हिमाचल प्रदेश	18
9	जम्मू एवं कश्मीर	5314508
10	कर्नाटक	38089359
11	केरल	38250
12	मध्य प्रदेश	94254
13	महाराष्ट्र	231305
14	मणिपुर	150
15	मेघालय	13518
16	मिजोरम	58
17	नगालैंड	68351
18	ओडिशा	37116
19	पंजाब	473
20	राजस्थान	18330
21	तमिलनाडु	60117
22	तेलंगाना	27695
23	उत्तर प्रदेश	139426
24	उत्तराखंड	6961
25	पश्चिम बंगाल	6664
26	पुदुचेरी	130
	कुल योग	**44950685**